न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 6/2025
जीसीएमएस : 2025/90

01. पलविन्द्र सिंह पुत्र श्री बलवीरसिंह जाति जटसिख साकिन 54 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
02. भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री ज्ञानसिंह जाति जटसिख साकिन 54 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
03. सुखदेव सिंह पुत्र श्री रेशमसिंह जाति जटसिख साकिन 54 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

–:प्रार्थीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर ।
2. परमजीतसिंह पुत्र श्री केवलसिंह जाति जटसिख साकिन 54 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. विजेन्द्र कौर पुत्री श्री ज्ञानसिंह पत्नी सुरेन्द्रसिंह जाति जटसिख साकिन हाल 37 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. राजविन्द्र कौर पत्नी स्वर्गीय श्री हरविन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन 54 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
5. बलिन्द्र सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री हरविन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन 54 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
6. लवप्रीत कौर पुत्री स्वर्गीय श्री हरविन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन 54 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
7. हरप्रीत सिंह पुत्र श्री बूटासिंह जाति जटसिख साकिन 54 आरबी तहसील रायसिंहगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

–:अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

तारीख रजू:– 28.03.2024

परस्थित अधिवक्ता:–

1. श्री गुरबक्शसिंह प्रार्थीगण अधि.।
2. श्री मुखत्यारसिंह अप्रार्थी सं. 2 ता 5 अधि.।

––निर्णय–– दिनांक 23.09.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपखण्ड रायसिंहनगर के चक 54 आरबी तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 37/60 मुरब्बा नं. 11 पं.नं. 145/266 के कि.नं. 11 ता 25 के कुल 3.162 है. नहरी–बारानी मय गै. मु. रास्ता भूमि में आवेदकगण के अलावा परमजीतसिंह के नाम हिस्सा 173/1581 भूमि जमाबन्दी में दर्ज है, इन्द कौर के नाम इसी खाता में हिस्सा 79/1581 जमाबन्दी है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिस विजेन्द्र कौर अप्रार्थी संख्या 3 आवेदक संख्या 2 भूपेन्द्र सिंह व अनावेदक संख्या 4 के पति व अनावेदक संख्या 5 व 6 के पिता हरविन्द्र सिंह है। इनमें हरविन्द्र सिंह के नाम इस खाते में हिस्सा 617/3162 है. नहरी–बारानी मय गै.मु. रास्ता भूमि जमाबन्दी में दर्ज है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। हरविन्द्र सिंह की जायज वारिस् उसकी पत्नी राजविन्द्र कौर अप्रार्थी संख्या 4 व पुत्र बलविन्द्रसिंह अप्रार्थी संख्या 5 व एक पुत्री लवप्रीत कौर अप्रार्थी संख्या 6 है इसलिए उन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया गया है । उक्त मुश्तकरा खाता की भूमि में किला नं. 21 ता 25 [illegible] वा मन्जूरशुद्धा गैर मुमकिन रास्ता के सामान्तर एक–एक बिस्वा [illegible] ता स्वीकृत करवाना चाहते है क्योकि पूर्व में स्वीकृत रा[illegible] आठ फीट चौड़ा है जिससें ट्रैक्टर ट्राली कम्बाईन व [illegible] कृषि यन्त्र न[illegible] सकते और ना ही इतनी कम जगह में से उन्हे मो[illegible] रास्ता एक–एक बिस्वा के साथ चिपता [illegible] मन्जूर स्वीकृत करवाना चाहते है जिससे रास्ते का विस्तार हो सके और रास्ता [illegible]–1/2 फीट चौड़ा हो सके इसके लिए हम आवेदगण अपने नाम की भूमि में से आवेदक संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.10.15 10:30:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

SCAN AnyScanner

पलविन्द्रसिंह अपने नाम व हिस्सा की भूमि में से 0.025है, यानि 2 बिस्वा भूमि, आवेदक संख्या 2 भूपेन्द्रसिंह अपने नाम व हिस्सा की भूमि में से 0.013 है यानि एक बिस्वा व आवेदक संख्या 3 सुखदेवसिंह अपने नाम व हिस्सा की भूमि में से 0.025है, यानि 2 बिस्वा भूमि कुल पांच बिस्वा 0.063है, नहरी बारानी भूमि देने को तैयार है और उक्त वर्णितानुसार ही भूमि सरेन्डर करते है। रास्ता मंजूर कर इसी अनुसार हम आवेदकगण की भूमि हमारे खाता व हिस्सा में से कम कर दी जावे। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि उपखण्ड रायसिंहनगर के चक 54 आरबी के खाता संख्या 37/60 पं.नं. 145/266 मु.नं. 11 में कि.नं. 11 ता 25 कुल 3.062 है, में से कि.नं. 21 ता 25 के दक्षिण में स्वीकृत शुद्वा गैर मुमकिन रास्ता एक–एक बिस्वा के साथ इसी के सामान्तर एक–एक बिस्वा कुल पांच बिस्वा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 2 ता 5 की तरफ से श्री मुखत्यार सिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब पेश कर निवेदन किया है कि चक 54 आरबी के खाता संख्या 37/60 पं.नं. 145/266 मु.नं. 11 में कि.नं. 11 ता 25 कुल 3.162 है, में से कि.नं. 21 ता 25 के दक्षिण में स्वीकृत शुद्वा गैर मुमकिन रास्ता एक–एक बिस्वा के साथ इसी के सामान्तर एक–एक बिस्वा कुल पांच बिस्वा 0.063 है, रास्ता ओर स्वीकृत फरमाया जावे जो वर्तमान में भी चल रहा है पूर्व में स्वीकृतशुद्वा रास्ते की चौड़ाई कम होने के कारण बड़े कृषि यन्त्र ट्राली व कम्बाईन आदि लाने ले जाने में दिक्कत होती है इसलिए कि. नं. 21 ता 25 के दक्षिण पासा में पूर्व मे स्वीकृत एक–एक बिस्वा रास्ता का विस्तार करते हुए इसी के सामान्तरण एक–एक बिस्वा ओर रास्ता मन्जूर फरमाया जाता है तो हमे कोई एतराज नहीं है क्योंकि इससे रास्ता चौड़ा हो जायेगा और सभी पक्षों को कृषि कार्य करने में सहुलियत होगी। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 2 ता 7 की ओर पेश कर नम्र निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के सभी तथ्य हम अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 7 को मन्जूर है इसलिए जवाब स्टेट की भी आवश्यकता नहीं है। जवाब स्टेट बन्द कर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2025/762 दिनांक 06.05.2025 ने अवगत करवाया कि प्रार्थीगण द्वारा चक 54 आरबी प.नं. 145/266 मु.नं. 11 के कि.नं. 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2 प्रत्येक 0.013 गै. मु. रास्ता को 0.025 है. स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है मुताबिक मौका रिपोर्ट अनुसार चक 54 आरबी प.नं. 145/266 मु.नं. 11 के कि.नं. 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2 प्रत्येक 0.013 गै. मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड है मौका पर पक्का खड़वजा बना हुआ है और चल रहा है। इसी रास्ते को चौड़ा करने के लिए कि.नं. 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1 प्रत्येक में एक–एक बिस्वा ओर स्वीकृत किया जाना उचित है। जिससें उक्त रास्ता क चौड़ाई प्रत्येक कि.नं. 0.025 है. हो जायेगी।

4. उभपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि पूर्व में स्वीकृत रास्ता की चोडाई कम होने के कारण बड़े कृषि यन्त्र ट्राली व कम्बाईन आदि लाने ले जाने में दिक्कत होती है इसलिए मु.नं. 11 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 0.013 है. रास्ता स्वीकृत किया जावे तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को आवागमन में सुविधा होगी। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि मु.नं. 11 के कि.नं. 21 ता 25 के दक्षिण पासा में पूर्व में स्वीकृत एक–एक बिस्वा रास्ता का विस्तार करते हुए इसी के सामान्तरण एक–एक बिस्वा ओर रास्ता मंजूर फरमाया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है क्योकि इससे रास्ता चौड़ा हो जायेगा और सभी पक्षों को कृषि कार्य करने में सहुलियत होगी।

5. अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार/भू.अभि.निरीक्षक/पटवारी की मौका जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है और प्रार्थीगण पूर्व में स्वीकृत रास्ता कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक 1–1 बिस्वा चौड़ा करवाना चाहता है प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए के आरटीएक्ट के तहत काश्तकार को रास्ता स्वीकृत किया जाना एवं रास्ता का नियम 30 पुष्ट किये जाने का प्रवधान है प्रार्थी के पास अन्य विकल्प भी उस रास्ते के लिए नहीं है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार रायसिंहनगर की जांच रिपोर्ट के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.10.15 10:30:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

पर चक 54 आरबी के मु.नं. 11 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के राजीनामा दिनांक 22.08.2025 के अनुसार स्वीकार किया जाकर चक 54 आरबी प.नं. 145/266 मु.नं. 11 के कि.नं. 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2 प्रत्येक 0.013 मै. मु. रास्ता के साथ–साथ कि.नं. 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1 प्रत्येक में 1–1 बिस्वा **गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है।** रास्ता बिना किसी मुआवजा के आदान–प्रदान के स्वीकृत किया जाता हैं निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान) ★ रायसिंहनगर ★

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.10.15 10:30:40 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner